

61353

B.Com. 4th Semester Pass Course wef session 2015-16

current scheme Examination, May-2016

CORPORATE LAW-II

Paper-4.04

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 80

Note : Attempt five questions in all selecting one question from each unit. Question No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

नोट : प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Explain the following :

निम्न के उत्तर दीजिए :

(i) Define a share

अंश की परिभाषा

(ii) Allotment of share

अंशों का आवंटन

(iii) Right of Pre-emption of share

अंश का प्रथम अधिकार

(iv) Forms of capital

पूंजी के प्रकार

(v) Proxy

प्रतिपुरुष

(vi) Minutes of a meeting

सभा के सूत्र

(vii) Meaning of winding up of a company

एक कंपनी के समापन का अर्थ

(viii) Two powers of company liquidator

कम्पनी निस्तारक की दो शक्तियाँ।

Unit-I

इकाई-I

2. Explain the provisions of allotment of shares under Companies Act.

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अंशों के आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 16

3. (a) Difference between transfer of shares and transmission of shares.

(b) Importance of Depository System.

(क) अंशों के अंतरण तथा अंशों के ट्रांसमिशन के बीच अन्तर

(ख) डिपोजिटरी सिस्टम का महत्व। 8+8=16

Unit-II

इकाई-II

4. (a) Reduction of share capital.

(b) Alteration of share capital.

(क) अंश पूंजी में कमी

(ख) अंश पूंजी में परिवर्तन। 8+8=16

5. (a) Modes of acquiring membership

(b) Modes of termination of membership.

(क) सदस्यता प्राप्ति के तरीके

(ख) सदस्यता समाप्ति के तरीके। 8+8=16

Unit-III

इकाई-III

6. Explain the provisions of Companies Act regarding statutory meeting.

एक वैधानिक सभा से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

7. (a) Appointment of Directors

(b) Removal of Directors.

(क) संचालकों की नियुक्ति

(ख) संचालकों को हटाना।

10+6=16

Unit-IV

इकाई-IV

8. Explain the provisions of voluntary winding up in detail. स्वैच्छिक समापन सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

9. Explain the powers and duties of company liquidator.

कम्पनी निस्तारक की शक्तियों एवम् कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।